न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 105/2016 (उदयपुर डिक्री)

रामा पिता दौला जी, जाति नाई, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर हाल निवासी ढुंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. नारायण पिता परथा जी गाडरी, मृतक के बजाय :–

1/1. ऊँकार पिता स्व. नारायणजी गाडरी, निवासी भीम का खेड़ा, तहसील वल्लभनगर

1/2. मांगीलाल पिता स्व. नारायणजी गाडरी, निवासी भीम का खेड़ा, तह. वल्लभनगर

2. मोतीराम पिता दौला जी, जाति नाई, मृतक के बजाय :–

2/1. गंगाबाई पत्नी स्व. मोतीराम जी, जाति नाई, निवासी सालेडा, तह0 वल्लभनगर

2/2. जगदीश पिता स्व. मोतीराम जी, जाति नाई, निवासी सालेडा, तह0 वल्लभनगर

2/3. मांगीलाल पिता स्व. मोतीराम जी, जाति नाई, निवासी सालेडा, तह0 वल्लभनगर

2/4. श्रीमती शान्ति पुत्री स्व.मोतीरामजी, पत्नी सागरजी, जाति नाई, निवासी सालेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर दिनांक
10–08–1994 प्रकरण संख्या 219/1993

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री देवदर्शन देवपुरा अभिभाषक रे.सं. 1/1, 1/2

———::———

निर्णय दिनांक 30–10–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सालेडा में आराजी नंबर 1 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी[illegible] के पिता [illegible] दिनांक 16–06–1978 को बिल एवज 3000/– रूपये में आराजी नंबर [illegible] 3 [illegible] को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested

दिया था तथा स्टाम्प पर विक्रय का निष्पादन कर पंजीयन करवा दिया गया, तब से वादी निरन्तर बिना रोक टोक काबिज चला आ रहा है। आराजी नंबर 3 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वादी के नाम दर्ज है, किन्तु विक्रय पत्र में सहवन से आराजी नंबर 1 का अंकन होने से रह गया, जबकि आराजी नंबर 3 के साथ–साथ आराजी नंबर 1 का भी विक्रय किया गया था। वादी अपनढ़ होने से उसे इसका ज्ञान नहीं हुआ। दिनांक 08–07–1993 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी की आराजी नंबर 1 का वह किसी अन्य को नुमाईशी विक्रय कर देंगे या इस पर कब्जा कर लेंगे। अतः वादी वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी नंबर 1 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामे अनुसार अपने निर्णय दिनांक 10–08–1994 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–09–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री देवदर्शन देवपुरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 से 2/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अपनी भूमि पर लोन लेने की जरूरत पड़ी तो पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला कि उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम पर नहीं है। जानकारी करने पर दिनांक 22–08–2016 को नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए निवेदन किया कि अपील करीब 22 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जो बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–1994 के विरूद्ध दिनांक 27–09–2016 को इस न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत की है, जबकि अपील की मियाद 60 दिवस अर्थात दिनांक 09–10–1994 तक ही थी अर्थात यह अपील करीब 22 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए मात्र कारण यह बताया कि भूमि पर लोन लेने के लिए जरूरत पड़ने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा 22 लगभग वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील के लिए जो कारण बताया गया है वह न तो उचित प्रतीत होता है एवं न ही 22 वर्ष विलम्ब के लिए कोई पर्याप्त कारण प्रतीत होता है, जबकि देरी से प्रस्तुत अपील में मामले में प्रत्येक दिन की देरी के कारणों को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–1994 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

रामा पिता दौला जी, जाति नाई, निवासी सालेडा हाल निवासी ढुंढिया, तह. मावली जिला उदयपुर बनाम **नारायण पिता परथा मृतक के बजाय उॅकार पिता स्व. नारायण जी गाडरी, नि0 भीम का खेड़ा, तह0 वल्लभनगर जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**105/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**...10**.....माह.....**08**.....**1994**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**.....माह.....**.10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भूरालाल डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री देवदर्शन देवपुरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–1994 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**.10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested